| तारीख हुक्म | **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**<br>सरकार बनाम **कावा** धारा 8/11 धुम्रपान निषेध अधिनियम<br>प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 81/2026 पुलिस थाना धम्बोला<br>**नियमित अपराधिक प्रकरण संख्या 363/2026** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **06.06.2026** | थानाधिकारी, पुलिस थाना **धम्बोला** जिला डूँगरपुर की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 81/2026 में अभियुक्त **कावा पिता भीखा डामोर उम्र 61 साल निवासी कोवाडीया फला धम्बोला पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर** के विरूद्व **धारा 8/11 धुम्रपान निषेध अधिनियम** में जरीये सहायक अभियोजन अधिकारी प्रस्तुत हुआ। कार्यालय रिपोर्ट व आरोप पत्र का अवलोकन किया गया।<br><br>राज्य की और से सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त की और से अधिवक्ता **श्री गौतमलाल रोत** ने वकालतनामा पेश किया। आरोप–पत्र की नकल अभियुक्त को निः शुल्क दिलाई गई।<br><br>बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध **धारा 8/11 धुम्रपान निषेध अधिनियम** में प्रसंज्ञान लिये जाने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार मौजुद होने से उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी हो।<br><br>अभियुक्त को **धारा 8/11 धुम्रपान निषेध अधिनियम** के तहत आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर सही होना स्वीकार किया और अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता लोक अदालत की भावना से पृथक से स्वैच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।<br><br>अभियुक्त को सुना गया। अभियुक्त की स्वैच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त कांतिलाल को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 8/11 धुम्रपान निषेध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।<br><br>**<u>दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।</u>** विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को जूर्माने से दंडित किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त का आदतन अपराधी न होने, अभियुक्त का प्रथम अपराध होने एवं अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रेकार्ड न होने तथा प्रकरण में लोक अदालत की भावना से स्वेच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति करने के आधार पर अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की। उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया, आरोप पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्वि बाबत कोई अभिलेख नहीं है। अभियुक्त की ओर से लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया गया है।<br><br>अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार से परीवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। | |

06/06/2026

न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

## आदेश

अतः उक्त अभियुक्त **कावा पिता भीखा डामोर उम्र 61 साल निवासी कोवाडीया फला धम्बोला पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर** को आरोपित अपराध अर्न्तगत **धारा 8/11 धुम्रपान निषेध अधिनियम** में स्वैच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी पाये जाने पर उसे तुरंत कारावास की सजा से दण्डित न किया जाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 3 का लाभ दिया जाकर बाद सम्यक भर्त्सना के रिहा किया जाता है। साथ ही परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त पर **200/—अक्षरे दो सौ रूपये मात्र** अभियोजन व्यय स्वरूप अधिरोपित किया जाता है।

अभियुक्त एक शपथ पत्र इस आशय का भी प्रस्तुत करे कि उसे पूर्व में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त नही हुआ है।

**प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री/फर्द जप्ती के अनुसार नष्ट करने बाबत् संबंधित थानाधिकारी को पृथक से तहरीर जारी हो।**

आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से अभियोजन व्यय की राशि **300**/—रूपये जरीये ई चालान **जीआरएन नंबर 0124695881 दिनांक 06.06.2026** से जमा करायी जाकर चालान की प्रति पेश की। शामिल पत्रावली रहे।

प्रकरण का अंतिम निस्तारण हो जाने से मामले में अब कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

06/06/2026

**न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**सीमलवाडा जिला डूंगरपुर**

ANIL CHAWLA

"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Digitally signed by ANIL CHAWLA
Location: JM COURT SIMALWARA
Date: 2026.06.08 09:34:12 +0530